

उपखण्ड आदिकारी, छोड़ जिला सीकर  
मोहम्मद मुजुब चौहान बनाम मोहम्मद अयूब आदि  
अपील

दि. 18/2025

04/26 पत्रावली पेश हुई। वकील इमरतपुत्र  
इपं। पत्रावली वास्ते कहम दि  
24/26 का पेश ही

04/26 पत्रावली पेश हुई। वकील इमरतपुत्र  
इपं। पत्रावली वास्ते कहम दि  
12/26 का पेश ही

11/26 पत्रावली पेश हुई। वकील इमरतपुत्र  
कहम इमरतपुत्र के प्रतिवक्ष्य दि  
कहि, यह पुनी म, पत्रावली वास्ते मोप  
दि. 22/26 को पेश ही

22/26 पत्रावली पेश हुई। वकील इमरतपुत्र  
कहि, कहम इमरतपुत्र के कहम मोप ही इमरत  
का कहम पत्रावली वास्ते मोप दि. 5/26  
को पेश ही

5/26 पत्रावली पेश हुई। वकील इमरतपुत्र उपील  
कहि, कहम इमरतपुत्र के कहम मोप नहीं हुवासा जा  
दिका पत्रावली वास्ते मोप दि. 8/26  
को पेश ही

8/26 पत्रावली वास्ते मोप मोप ही वकील  
इमरतपुत्र का कहम यह कहम मोप मोप  
पत्रावली का कवलेक किता इतः अपील

मिमाद की सम्भावधि में नहीं होने के कारण  
अपील अपीलार्ड इसी स्तर पर खारिज  
किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।  
निर्दिष्ट प्रपत्रों से लिखवाया जाकर शामिल  
परमवली पर विपिन पुले व्यापार में सुनाया  
गया। परमवली के लाल मुद्रा होकर बाह  
तकमिल दाखिल कर दें।



उपखण्ड अधिकारी  
धोब जिला-सीकर